स्पाड पास्ट
एवं ई–मेल

SPEED POST

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. Press Clipping/4/2019/RU-III दिनांकः 09.10.2019

सिटिंग नोटिस

विषयः अनुसूचित जनजातियों के दमन के संबंध में सरकार द्वारा कानून बनाए जाने संबंधी अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वक्तव्य पर "नई दुनिया" एवं अन्य समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के संबंध मे ।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरणों में अन्वेषण करने का निर्णय लिया है।

2. श्री नंद कुमार साय, माननीय अध्यक्ष,, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण / जांच / की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग में दिनांक 16.10.2019 को 03.00 बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों / दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखे कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

9/10/2019
(डा. ललित लट्टा)
निदेशक

7693-95
9/10/19

जारी किया
ISSUED

सेवा में,

1. सचिव,
   जनजातीय कार्य मंत्रालय,
   भारत सरकार,
   ग्राउंड फ्लोर, 'डी' विंग, शास्त्री भवन,
   नई दिल्ली – 110001

2. सचिव,
   गृह मंत्रालय,
   भारत सरकार,
   नॉर्थ ब्लॉक, केंद्रीय सचिवालय,
   नई दिल्ली, 110001

3. सचिव,
   पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
   भारत सरकार,
   इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड,
   नई दिल्ली

6th Floor, 'B' Wing Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi -110003, website :://ncst.nic.in
Tel. : 011-24657271, 011-24620638 Fax : 011-24624628, 011-24604689, Toll Free 1800117777